# राजस्थान सरकार
## विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.23(2)न्याय/2012 जयपुर, दिनांकः 7.9.17

**:: आज्ञा ::**

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियमों के अन्तर्गत वरिष्ठ विधि अधिकारी के वर्ष 2012–13 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.11.2012 को आयोजित की गई, इसमें श्री गिरवर सिंह को पदोन्नति दी गई थी तथा पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.09.2015 को आयोजित कर श्री गिरवर सिंह की पदोन्नति को निरस्त करने का निर्णय लिया गया जिससे एक पद रिक्त हो गया। विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2012–13 के उक्त रिक्त पद के विरूद्ध पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26.08.2017 को आयोजित की गई जिसमें समिति की अभिशंसा के अनुसार श्री महेश कुमार, विधि सहायक (कनिष्ठ विधि अधिकारी) का चयन वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इन्हें वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री आलोक कुमार आर्य के नीचे तथा श्री महेश चन्द गौड़ के ऊपर रहेगी।

श्री महेश कुमार का वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद के वेतनमान PB No.-2 (9300-34800) GP No.-14 (4800) में दिनांक 01.04.2012 की रिक्तियों के विरूद्ध वेतन निर्धारण किया जाएगा। श्री महेश कुमार का चयन वर्ष 2013–14 में क्रम संख्या–1 पर किया गया था, जिसे निरस्त किया जाता है।

श्री महेश कुमार का पदस्थापन यथावत रहेगा।

**राज्यपाल महोदय की आज्ञा से**

07/9/17

**(मनोज कुमार व्यास)**
**प्रमुख शासन सचिव**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. संबंधित अधिकारी/विभाग।
7. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

07.09.17

**(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)**
**संयुक्त शासन सचिव**